



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1550]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2011/श्रावण 17, 1933

No. 1550]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2011/SRAVANA 17, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

का.आ. 1845(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण दिल्ली कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री कौशल कुमार माथुर, —अध्यक्ष  
4, डिफेंस एन्कलेव,  
विकास मार्ग,  
दिल्ली-110092
2. डॉ. मुकेश खरे, —सदस्य  
सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,  
ब्लॉक-IV,  
आईआईटी दिल्ली
3. सदस्य-सचिव, —सदस्य-सचिव  
प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली
2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हैं।
4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को सहायता के लिए दिल्ली राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति, दिल्ली

(जिसे इसमें इसके पश्चात् राविअस दिल्ली कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. डॉ. सी.आर. बाबू, —अध्यक्ष  
प्रोफेसर एमीरिटस,  
सेंटर फार एन्वायरमेंट,  
मैनेजमेंट ऑफ डीग्रेडेड इकोसिस्टम्स,  
दिल्ली विश्वविद्यालय,  
दिल्ली-110007
2. डॉ. आर. के. खंडेल, —सदस्य  
श्रीराम इंस्टीट्यूट फार इंडस्ट्रीयल रिसर्च,  
19, विश्वविद्यालय रोड,  
दिल्ली-110007
3. श्री अमरजीत सिंह, —सदस्य  
मुख्य अभियंता (सीएंडई),  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,  
द्वितीय तल, एन-विंग,  
सेवा भवन, आर.के. पुरम,  
नई दिल्ली-110066
4. प्रो. सुबीर साहा, —सदस्य  
21 एसपीए कॉम्पलेक्स,  
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी,  
नई दिल्ली-110065
5. डॉ. (श्रीमती) पी. मालारविज्ही, —सदस्य  
जे-60, द्वितीय तल, साकेत,  
नई दिल्ली-110070
6. डॉ. मिहिर देव, —सदस्य  
सी-1/1157, वसंत कुंज,  
नई दिल्ली-110070
7. सदस्य-सचिव, —सदस्य-सचिव  
प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली



5. प्राधिकरण, राविअस दिल्ली की सिफारिशों पर विनिश्चय लेगा।

6. राविअस दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राविअस दिल्ली, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. राविअस दिल्ली, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. दिल्ली राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राविअस दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दिल्ली राज्य सरकार के नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे।

[फा. सं. जे-11013/62/2007-आईए, II (1)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक "जी"

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

##### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2011

**S.O. 1845(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi (hereinafter referred to as the Authority, Delhi) comprising of the following three members, namely:—

1. Shri Kaushal Kumar Mathur, —Chairman  
4, Defence Enclave,  
Vikas Marg, Delhi-110092
2. Dr. Mukesh Khare, —Member  
Civil Engineering Department,  
Block-IV, IIT Delhi, Delhi
3. Member Secretary, —Member-  
Delhi Pollution Control Committee Secy.

2. The Chairman and members of the Authority, Delhi shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Delhi shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette notification.

4. The Central Government, to assist the Authority, Delhi in consultation with the State Government of Delhi, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee,

Delhi (hereinafter referred to as SEAC, Delhi) comprising of the following Members, namely:—

1. Dr. C. R. Babu, —Chairman  
Professor Emeritus,  
Centre for Environment,  
Management of Degraded  
Ecosystems, University  
of Delhi, Delhi-110007
2. Dr. R. K. Khandal, —Member  
Shriram Institute for  
Industrial Research,  
19, University Road,  
Delhi-110007
3. Shri Amarjeet Singh, —Member  
Chief Engineer (C&E),  
Central Electricity Authority,  
2nd Floor, N-Wing  
Sewa Bhawan, R. K. Puram  
New Delhi-110066
4. Prof. Subir Saha, —Member  
21, SPA Complex,  
New Friends Colony,  
New Delhi-110065
5. Dr. (Mrs) P. Malarvizhi, —Member  
J-60, 2nd Floor, Saket  
New Delhi-110017
6. Dr. Mihir Deb, —Member  
C-1/1157, Vasant Kunj,  
New Delhi-110070
7. Member Secretary, —Member-Secy.  
Delhi Pollution Control Committee

5. The Authority, Delhi shall take decision on the recommendations of the SEAC, Delhi.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Delhi shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Delhi shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Delhi shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The State Government of Delhi shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the SEAC, Delhi and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. Sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Delhi and the Chairman and Members of SEAC, Delhi shall be paid in accordance with the rules of the State Government of Delhi.

[F.No. J-11013/62/2007-IA.II (I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"